सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

रतनलाल बनाम लालचन्द आदि

वाद सं. 4(6) 124/2025

20/6/25	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से एक श्री मनोपचारिक उपस्थित। वाद पत्र पेश किया। रिकार्ड वापस रजिस्ट्री की गई। वाद पत्र अर्थ मंजिस्ट है। प्रतिवादीगण को नोटिस मंजिस्ट एवं डीक्रीज एवजबिना कायम पत्रावली दिनांक 18/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	
18/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के समक्ष वकील होकर लौटकर नहीं आये। इश्तहार वकील पत्रावली दिनांक 29/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	
29/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। इश्तहार वकील पत्रावली दिनांक 20/8/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	
13/8/25	पत्रावली प्रार्थी/वादी रतनलाल के आवेदन पत्र द्वारा दिनांक 11/8/25 को पेशी से पूर्व पेश हुई। वकील वादी। वकील वादी ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनका मुकदमा के पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की मार्फत से राजीनामा हो गया है। अतः वाद पत्र को गैर प्रेम के आधार पर खारिज फरमाया जावे। वकील वादी के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराये गये। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	नोट प्रेजन्टे स्वीकार किये जाते पर कोई आपत्ति नहीं। प्रकाश चन्द

अभिभाषक संघ, सीकर